न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—498/2016/223 (2016/000498)

1. गजमल पुत्र लक्ष्मण,
2. रतनलाल पुत्र लक्ष्मण,
3. मदनलाल पुत्र लक्ष्मण,
   समस्त जाति तेली, निवासी नागोला, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामदेव पुत्र दोला,
2. अर्जुन पुत्र दोला,
3. भीम पुत्र दोला,
4. जयराम पुत्र आनन्दा,
   समस्त जाति तेली, निवासी नागोला, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय दिनांक 29.10.2016 अंतर्गत वाद संख्या 65/2015.

उपस्थितः—

1. श्री शांति प्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हीरालाल माली, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 4.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188 व 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नागोला, तह0 भिनाय की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या नया 86 में कुल खसरा किता 17 की आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमिया है, लेकिन विवाद मासत्र खसरा संख्या 2519 रकबा 0.13 है0 व खवसरा संख्या 2520 रकबा 0.98 है0 का है । विवातिद आराजियात संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमियां होने से इसके प्रत्येक इंच में प्रत्येक खातेदार के

अधिकार निहित है लेकिन प्रतिवादीगण इनसे वादीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है और बिना विधिक रूप से संपरिवर्तन कराये इन पर नींव खोदकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है और कृषि भूमि के भौतिक स्वरूप को बदल रहे है । प्रतिवादीगण के इस कृत्य से वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा विवाद बढ़ेंगे । प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है । अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी एवं उनके हाली, एजेण्ट, रिश्तेदार, मित्र आदि सहित सभी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा विवादित भूमि में नींव खोदने, कारतामीरात करने एवं इसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन आदि से निषेध किया जावे । यदि वाद विचारण दौरान कोई निर्माण या परिवर्तन आदि करे तो प्रतिवादीगण के खर्च पर विवादित आराजी का मूल स्वरूप कायम करवाया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2016 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का वाद स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 ने सरसरी रूप से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर कानूनी भूल की है । प्रतिवादीगण/अपीलांट संख्या 2 व 3 की ओर से अधी0न्याया0 में अभिभाषक द्वारा अण्डरटेकिंग दी है लेकिन कोई वकालतनामा उनकी ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है तो फिर एकपक्षीय कार्यवाही करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस दिया जाना आवश्यक था तथा विधिवत् रूप से जवाब दावा लेकर तनकियात कायम कर, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था लेकिन अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के अनुसार उक्त खसरा नंबर के अलावा 15 खसरा नंबर ओर है जिनके कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है तथा एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जब तक कि वह विधिवत् बंटवारा नहीं करवा ले । राजस्व न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि मेडेन्टरी इंजेक्शन प्रदान कर सके । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र वादीगण को लाभ पहुंचाने की गरज से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वाद स्वीकार किया है । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 में उनके अधिवक्ता द्वारा वकलातनामा व जवाबदावा पेश नहीं किया गया है जिसकी गलती की सजा पक्षकार नहीं दी जा सकती है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्ण्य व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी खसरा नंबर 2519 रकबा 0.13 है0 एवं खसरा नंबर 2520 रकबा 0.98 है0 आराजियात प्रारंभ से अपीलांटस एवं रेस्पो0 के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है । विवादित आराजियात का पक्षकारों के मध्य विधिक

बंटवारा नहीं हुआ है इसके बावजूद अपीलांटस उक्त खसरा नंबरान की आराजियात पर बिना संपरिवर्तन कराये नींवें खोदकर निर्माण कार्य करने तथा भूमि का स्वरूप परिवर्तन करने पर आमादा है । राजस्व नियमों के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी कृषि भूमि पर बिना विधिवत् भू–रूपातंरण करवाये व बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण नहीं कर सकता है । संयुक्त भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हक, अधिकार व कब्जा होता है । यदि अपीलांटस को उक्त कृत्य जरिये स्थायी निषेधाज्ञा नहीं रोका जाता तो रेस्पो0/वादीगण को अपूर्णीय क्षति होती तथा और अधिक वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिलता । अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांटस द्वारा वाद में जरिये अधिवक्ता अण्डरटेकिंग देने के उपरांत जानबूझकर अनुपस्थित रहे है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिससे अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये थे । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब करने हेतु नोटिस जारी किये । उक्त नोटिस अपीलांटस को तामील होने पर अपीलांटस की ओर से अधिवक्ता अण्डरटेकिंग दी । तत्पश्चात् अधिवक्ता द्वारा आगामी पेशियों पर वकालतनामा एवं जवाबदावा हेतु समय चाहा गया । दिनांक 21.7.2016 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने तथा अधिवक्त द्वारा वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश नहीं किये जाने से अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 22.9.2016 के अनुसार उक्त दिनांक को वादीगण की बहस सुनकर पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 29.96.2016 नियत की गई तथा आदेशिका दिनांक 29.9.2016 के अनुसार उक्त दिनांक को वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना अंकित किया है किन्तु अधी0न्याया0 की पत्रावली में दिनांक 29.9. 2016 का कोई निर्णय उपलब्ध न होकर दिनांक 29.10.2016 का निर्णय संलग्न है । इस संबंध में रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार का कोई संतोषप्रद जवाब पेश नहीं किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिग दिये जाने के उपरांत वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश नही किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को सूचित नहीं कर सीधे ही एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये है जिसे भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण में पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस/प्रतिवादीगण को साक्ष्य, सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के तहत प्रकरण में वाद बिन्दू कायम किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10. 2016 को निरस्त किया जाता है है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस/प्रतिवादीगण को जवाबदावा, साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर वाद को तनकीवार निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 4.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर